उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 27/2016/337/छप्पन-2016-93/2014

लखनऊ : दिनांक : 21 मार्च, 2016

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030001	24512	2000	2000	2000	22512
207000114030003	29414	3000	3000	3000	26414
207000114030006	33300	2000	2000	2000	31300
207000114030047	500	211	211	211	489
2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030012	600	80	80	80	520
योग	88326	7291	7291	7291	81235

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय					
207000114030015	1200	1500	300	300	1500
207000114030029	4000	5500	1500	1500	5500
207000114030042	155358	160358	5000	5000	160358
207000114030046	733	1144	211	211	944
2203-तकनीकी शिक्षा-आयोजनेत्तर-105-बहुशिल्प विद्यालय-03-एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था का सुदृढ़ीकरण					
220300105030015	80	160	80	80	160
योग	161371	168660	7291	7291	168462

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार एरियर, विशेष उड़ान भत्ते एवं यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप सम्भावित है।

आर.ई. संख्या- 581/ई-7/दस-2016, दिनांक : 17 मार्च, 2016

--- 3

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है- निदेशालय के वाहनों के अनुरक्षण, ईधन के बिलों तथा निदेशालय परिसर, वी0आई0पी0 लाउंज, प्रशासकीय भवन, आवासी कालोनी आदि में अनुरक्षण कार्यों तथा ए0टी0एफ0 बिलों, लैण्डिंग बिलों के लम्बित होने के फलस्वरूप व्ययाधिक्य हो रहा है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

संख्या : 27/2016/337 (1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड बुक।

सेवा में,
महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर .....
(अरूण कुमार दुबे)
अनु सचिव,
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव,
नागरिक उड्डयन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।